हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1971

धाराओं का क्रम

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. निर्वचन ।
3. हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि की स्थापना ।
4. निधि का गठन ।
5. प्रयोजन जिसके लिए निधि उपयोग की जा सकेगी ।
6. नियम बनाने की शक्ति ।
7. पंजाब आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 और हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि (रकम का अवधारण) अधिनियम, 1964 का निरसन ।

हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 9)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख, 28–07–1992, को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21–3–1994, को (पृष्ठ संख्या 365 से 368) पर प्रकाशित किया गया ।)

हिमाचल प्रदेश राज्य में आकस्मिकता निधि की स्थापना करने और बनाए रखने का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम** ।

संशोधित, निरसित या अन्यथा द्वारा प्रभावित :

(1)[2]1999 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 2 को महामहिम राज्यपाल द्वारा 16 जनवरी, 1999 को अनुमति प्रदान की गई जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 18 जनवरी, 1999 को पृष्ठ संख्या 235–238 पर प्रकाशित किया गया ।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

———————————

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 28 जुलाई, 1992 को अधिप्रमाणित किया गया इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21 मार्च, 1994 को पृष्ठ संख्या 365से 368 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाणन के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे ।
2. उद्देश्यों और कारणों का कथन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 9 दिसम्बर , 1998 पृष्ठ संख्या 4188 से 4192 देखें ।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1971 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. **निर्वचन.**— इस अधिनियम में, "निधि" से धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि अभिप्रेत है ।

3. **हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि की स्थापना.**— इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में और उस के लिए, अग्रदाय लेखा के स्वरूप की, एक निधि की स्थापना करेगी जो हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी ।

[1]{**4. निधि का गठन.**— राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि में से पांच करोड़ रूपए की राशि विनियोजित करेगी और निधि के जमा खाते में जमा की जाएगी ।}

5. **प्रयोजन जिसके लिए निधि उपयोग की जा सकेगी.**— निधि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के व्ययनाधीन रखी जाएगी, जो इस का ऐसे व्यय के राज्य के विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा किए गए विनियोजन के अधीन प्राधिकृत किए जाने के लम्बित रहने तक, सिवाय राज्य के अनपेक्षित ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए समय–समय पर अग्रिम देने के प्रयोजन के लिए, व्यय नहीं करेगा ; और ऐसी विधि के प्रवर्तन में आने के ठीक पश्चात् राज्यपाल द्वारा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए अग्रिम रूप में दी गई रकम या रकमों के बराबर रकम निधि के खाते में जमा की गई समझी जाएगी और इस प्रकार अन्तरित या अन्तरित की हुई समझी गई रकम सभी प्रयोजनों के लिए निधि का भाग होगी ।

6. **नियम बनाने की शक्ति.**— राज्य सरकार इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

7. **पंजाब आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 और हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि (रकम का अवधारण) अधिनियम, 1964 का निरसन.**— पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 और हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि (रकम का अवधारण) अधिनियम, 1964 एतद्द्वारा का निरसन किया जाता है ।

———————————————

1. 1999 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 2 द्वारा धारा 4 प्रतिस्थापित की गई ।